

## Sub Registry Office, Danapur

## Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 3233

RTPS No.:-

030118283002100979

चूंकि श्री Ashok Singh ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवगारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवगारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2008 से ता० 24/02/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवगारों का पता चला है—

| क्रम संख्या | कार्यालय अंचल       | मौजा/वाड नं० | खाता           | खेसरा           | रकबा    | दस्तावेज का प्रकार | जिल्द संख्या | पृष्ठ संख्या | पृष्ठ संख्या से तक | वर्ष |
|-------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|------|
| 1           | Danapur Thana No-34 | Ashopur      | 13,35,46,10,44 | 360,365,366,368 | 74 Dec. |                    | 0            |              |                    |      |
| 2           | 0                   | 0            | 0              | 362             |         |                    | 0            |              |                    |      |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवगारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवगार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम —ANIL KUMAR GUPTA  
UPPER DIVISION CLERK

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम —Rekha Choudhary  
U.D.C

कार्यालय —

Sub Registry  
Office, Danapur

तारीख —

26/02/2021



टिप्पणी—

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवगार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवगारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवगारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- .866 दिनांक:- 26/02/2021

शाखा प्रबंधक State Bank of India के पत्र दिनांक 19/02/2021

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर